

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-247 / 2014 / भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या-248 / 2014 / भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या-249 / 2014 / भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या-250 / 2014 / भीलवाड़ा.

मैसर्स संगम इण्डिया लिमिटेड, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 123, 121, 122 व 120/वैट/13-14 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 30.8.2013, वर्ष 2011-12 (01.01.2012 से 31.03.2012) के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 11.10.2013, वर्ष 2011-12 (01.04.2011 से 31.12.2011) के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2013 एवं वर्ष 2012-13 (01.04.2012 से 30.06.2012 व 01.10.2012 से 31.12.2012) के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 21.11.2013 अन्तर्गत वैट अधिनियम की धारा 33 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3/


8

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे 'रिप्स-2003' कहा जायेगा) के तहत ब्याज एवं रोजगार पर अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्न तालिका अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से आलौच्य अवधियों के लिये अनुदान की गणना की जाकर तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित स्वीकृति आदेशों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए पश्चातवर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल आदेशों को संशोधित कर व्यवहारी को अधिक स्वीकृत की गयी अनुदान राशि मय ब्याज पुनः वसूल किये जाने के आदेश किये गये।

अपील संख्या	अवधि	रिप्स-2003 के तहत स्वीकृति दिनांक	संशोधित आदेश दिनांक
247/14	2010-11	15.07.2011	30.08.2013
247/14	1.1.12 से 31.3.2012	23.05.2012	11.10.2013
247/14	1.4.11 से 31.2.2011	24.08.2011 17.11.2011 29.02.2012	30.08.2013
247/14	1.4.12 से 30.6.2012 30.6.12 से 1.10.2012	30.08.2012 28.02.2013	21.11.2013

4. उक्त विवादित संशोधित आदेशों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह त्रुटि दर्शाई गई है कि व्यवहारी को अनुदान राशि की स्वीकृती के पूर्व निर्यात से सम्बन्धित बिक्री की इनपुट राशि को आउटपुट टैक्स की राशियों में से कम नहीं किया गया है। इस तरह निर्यात से सम्बन्धित इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि को आउटपुट टैक्स की राशियों में से कम करते हुए अवशेष नेट पेयबल राशि पर ही अनुदान दिये जाने का आदेश उक्त विवादित संशोधित कर निर्धारण आदेशों में किया गया है, जिनके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2014 में यह निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, उसके पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं यह टिप्पणी भी की गयी है कि रिप्स-2003 के तहत जो प्रमाण-पत्र जारी किया गया था वह केवल यार्न की यूनिट में किये गये "विस्तार" कार्य से ही सम्बन्धित था, जो कर योग्य माल के उत्पादन में वृद्धि तक सीमित था एवं सब्सिडी का लाभ केवल इसी यूनिट पर ही स्वीकृत किया गया है परन्तु अनुदान की गणना करते समय फेब्रिक सम्बन्धी अन्य यूनिट की आई.टी.सी. को भी सम्मिलित कर दिया गया है। इस टिप्पणी के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।


 लगातार.....3

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्यात सम्बन्धी विक्रय राशियों से सम्बन्धित आई.टी.सी. को भी अनुदान देते समय सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया है जबकि निर्यात सम्बन्धी विक्रय उस युनिट से सम्बन्धित नहीं था, जिस पर अनुदान योजना के तहत लाभ प्राप्त था। उन्होंने कथन किया कि रिप्स-2003 के तहत एक विशिष्ट इकाई को ही "विस्तार" शीर्षक के तहत अनुदान का लाभ प्रदान किया गया था जबकि निर्यात से सम्बन्धित विक्रय अन्य युनिट से सम्बन्धित थी, ऐसी स्थिति में असम्बद्ध आई.टी.सी. की राशि को सम्मिलित करते हुए जो नेट टैक्स पेयबल दर्शाया गया वह त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित संशोधित आदेशों में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अधीन यह निर्णय दिया गया है कि अनुदान योजना (रिप्स-2003) के तहत जिस युनिट को यह लाभ दिया गया था उससे सम्बन्धित विक्रय की आउटपुट एवं इनपुट राशियों की गणना की जाना अनिवार्य थी एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना मानते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युनिटवाईज अनुदान सम्बन्धी कोई विवेचन अपने आदेशों में नहीं किया गया है जबकि पूर्व के कर निर्धारण आदेशों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्यात सम्बन्धी विक्रय राशियों के इनपुट क्रेडिट को सम्मिलित नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कर निर्धारण अधिकारी संशोधन किये जाने का सम्पूर्ण आधार बताते हुए पुनः आदेश पारित करें एवं यह भी स्पष्ट करें कि अनुदान योजना के तहत जो विशिष्ट युनिट को स्वीकृति प्रदान की गयी है उससे सम्बन्धित इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि कम किये जाने का क्या आधार है।






अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो आक्षेप किये गये थे उनको प्रथम दृष्टया मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय करते हुए पारित आदेशों को अपास्त कर सुनवाई के पश्चात् निर्णय करने का निर्देश दिया है जो विधि एवं न्याय के अनुरूप है। अतः अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय अधिकारी के आदेशों की अतिशीघ्र पालना करें एवं सुनवाई के पश्चात् आख्यापक आदेश (Speaking order) पारित करें।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।


(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(क. एल. जैन)
सदस्य